संख्या-48/2022/34/2022/71-2099/2637/2020-आर0एम0-11/2013

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 22 अप्रैल, 2022**

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के हास्पिटल ब्लाक (पूर्व डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय) में निःशुल्क चिकित्सा उपचार सेवा को संस्थान की शुल्क व्यवस्था के अनुरूप किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय के डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में विलय विषयक शासनादेश संख्या-1985/71-2-2019-आर0एम0-11/2013 टी0सी0, दिनांक 27 अगस्त, 2019 के प्रस्तर-3(7) में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-

"डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ द्वारा वर्तमान में जिन दरों पर मरीजों को चिक्तिसा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं, विलय के पश्चात डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा उन्हीं दरों एवं शर्तों पर मरीजों को प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा सुविधा इस शासनादेश को निर्गत किये जाने की तिथि से 02 वर्ष तक यथावत दी जायेगी, तत्पश्चात परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।"

2- शासनादेश की उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में इमरजेन्सी में आने वाले मरीजों की चिकित्सकीय सुविधा यथावत निःशुल्क रखते हुये अस्पताल (Hospital Block) में आने वाले अन्य सभी मरीजों के पंजीकरण एवं यूजर चार्जेज, संस्थान के अनुसार किये जाने विषयक अपने पत्र संख्या-2363/Estb.(Gen)/RMLIMS/2021, दिनांक 28.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

3- शासनादेश दिनांक 27.08.2019 एवं संस्थान के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की चिकित्सा सुविधा पूर्व की भांति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये तथा अस्पताल (Hospital Block) में आने वाले अन्य सभी मरीजों के पंजीकरण एवं यूजर चार्जेज संस्थान की भांति रखा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।